



राज.नं.एल.डब्लू./एन.पी.890

लाइसेन्स नं 0 डब्लू० पी०-४१

लाइसेन्स ट्रॉफोन्स एटे कन्सेन्ट्रेशनल रेव

# उत्तरप्रदेश सरकारी गजट, उत्तरप्रदेश

“उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

## विधायी परिविष्ट

भाग—1, छण्ड (क)

(उत्तरप्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 7 फरवरी, 1998

मात्र 18, 1919 शक सम्बत्

उत्तरप्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 291/सवह-वि-1-1 (क)-39-1997

लखनऊ, 7 फरवरी, 1998

### अधिसूचना

#### विविध

“भारत का संविधान” के अनुष्ठान 200 के अधीन राजपत्राल महोदय ने उत्तरप्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तरप्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 6 फरवरी, 1998 को अनुमति प्रदान की थी और वह उत्तरप्रदेश अधिनियम अंक्षया 6 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरप्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 1998

(उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1998)

[जैसा उत्तरप्रदेश विधायान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तरप्रदेश राज्य महिला-आयोग अधिनियम, 1997 को निरसित करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1--(1) यह अधिनियम उत्तरप्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा। संवित नाम और प्रारम्भ

(2) यह 8 दिसंबर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2--उत्तरप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1997 ऐद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 7  
सन् 1997 का  
निरसन

उत्तर प्रदेश अधिकारण गजट, 7 फरवरी, 1998

निरसन

3—उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,  
गणेश शंकर पाण्डेय,  
विशेष सचिव।

No. 291 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-39-1997  
Dated Lucknow, February 7, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Mahila Aayog (Nirasan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 6, 1998.

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR WOMEN  
(REPEAL) ACT, 1998  
(U. P. Act no. 6 of 1998)  
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN  
ACT

to repeal the Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 1997

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

Repeal of U.P.  
Act no. 7  
of 1997

Repeal

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Women (Repeal) Act, 1998.
- (2) It shall be deemed to have come into force on December 8, 1997.
2. The Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 1997 is hereby repealed.
3. The Uttar Pradesh State Commission for Women (Repeal) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

By order,  
G. S. PANDEY,  
Vishesh Sachiv.

U. P.  
Ordinance  
no. 15  
of 1998

पी० एस० य० पी०—ए० पी० 227 सा० विवा०—(2376)—1998—350 (मे० ०)